ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन

KEY WORDS: मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, आदिवासी भाषा, संवादात्मक, मनोरंजनात्मक।

अजय कुमार राय असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय हाटा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश

ABSTRACT

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी नीति है जो भारतीय शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति पर आधारित करने का लक्ष्य रखती है। यह नीति आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी के उपयोग के माध्यम से भारत को भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प लेती है। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का मूल स्रोत देश की विविध भाषाएं और उनका साहित्य हैं। इसीलिए यह नीति भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर स्तर पर व्यापक और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करती है। नीति निर्माताओं का मानना है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना सबसे प्रभावी होता है, इसलिए यह नीति मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर विशेष जोर देती है और इसके लिए कई उपयोगी सुझाव देती है। इसके साथ ही, यह नीति क्षेत्रीय भाषाओं, आदिवासी भाषाओं, शास्त्रीय और प्राचीन भाषाओं, और यहां तक कि विदेशी भाषाओं के शिक्षण, संरक्षण और विकास के लिए भी ठोस कदम सुझाती है। भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह नीति पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यचर्या, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संरचना, शिक्षण माध्यम, शिक्षण विधियों और अन्य संबंधित पहलुओं पर गहन और व्यावहारिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करती है।

प्रस्तावना-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने परिचय में ही स्पष्ट करती है कि यह भारतीय शिक्षा को एक कल्पवृक्ष के रूप में देखती है, जिसकी जड़ें भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की उर्वर भूमि में निहित हैं। इस ज्ञान परंपरा और संस्कृति का आधार भारतीय भाषाएं और उनका समृद्ध साहित्य हैं। नीति के हिंदी संस्करण में 108 पृष्ठ हैं, और इसमें "भाषा" शब्द का उल्लेख 234 बार किया गया है। यह बार-बार प्रयोग नीति निर्माताओं की भाषा के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता को दर्शाता है। इससे पहले गठित विभिन्न आयोगों और समितियों ने भी भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए सुझाव दिए थे। भारत में पहले लागू हुई दो शिक्षा नीतियां—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और नई शिक्षा नीति 1986 में भी भाषा से संबंधित प्रावधान थे। हालांकि, कई कारणों से भारतीय भाषाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 197 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। 1986 की नीति के 34 साल बाद घोषित यह नई नीति भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति गंभीर है और इसके लिए व्यापक प्रावधान प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा संबंधी अनुशंसाएं- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा को दो रूपों में देखती है—पहला, शिक्षा के माध्यम के रूप में, और दूसरा, एक विषय के रूप में। नीति यह घोषणा करती है कि किसी भी विषय को सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा है, और यह तथ्य मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से भी प्रमाणित है। साथ ही, यह नीति कहती है कि किसी भाषा को सीखने के लिए उसे शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक नहीं है। इसी आधार पर नीति अपने "बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति" अध्याय में सुझाव देती है कि ग्रेड 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए और जहां संभव हो, ग्रेड 8 तक या उससे आगे भी मातृभाषा को माध्यम बनाया जाए। यह आशंका हो सकती है कि अन्य भाषाओं के ज्ञान के अभाव में वैश्विक संपर्क और ज्ञान से वंचित न हो जाएं। नीति निर्माता इस चिंता से अवगत हैं और यह भी जानते हैं कि भाषा का सबसे अधिक विकास 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच होता है। इसलिए नीति इस अवस्था में बच्चों को विभिन्न भाषाओं से परिचित कराने और उनके संपर्क का सुझाव देती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक प्रारंभिक चरण में औपचारिक भाषा शिक्षण पर ध्यान न दें, नीति संवादात्मक और मनोरंजनात्मक विधियों का उपयोग करने की सलाह देती है।नीति त्रिभाषा सूत्र को बनाए रखने की बात करती है, लेकिन इसे लचीले रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें विद्यार्थियों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। यह संभवतः पिछले भाषा विवादों से सबक लेते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। नीति के अनुच्छेद 4.14 में गणित और विज्ञान की द्विभाषी (मातृभाषा और अंग्रेजी) पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का सुझाव है। मिडिल स्टेज (ग्रेड 6-8) में नीति भारत की भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय एकता के लिए उपयोग करने की बात करती है। इसके लिए "लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया" नामक एक रोचक प्रोजेक्ट की अनुशंसा की गई है, जिसमें बच्चे भारत की भाषाओं के बीच एकता के सूत्रों को समझ सकें।संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का सशक्त माध्यम मानते हुए नीति इसके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान देती है। फाउंडेशनल और मिडिल स्टेज में बच्चों को संस्कृत से परिचित कराने, इसे रोचक और आनंददायक तरीके से पढ़ाने, और गणित, दर्शन, योग, खगोलशास्त्र जैसे विषयों के साथ जोड़ने की सलाह दी गई है। संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने और वहां इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने का सुझाव भी है।भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाओं—तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, कन्नड़ तथा प्राचीन भाषाओं—पाली, प्राकृत, फारसी के संरक्षण के लिए भी नीति सुझाव देती है। इनके ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने और ग्रेड 6-12 तक दो साल के साहित्य अध्ययन का विकल्प देने की बात है। विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी के साथ-साथ जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, थाई और जर्मन को माध्यमिक स्तर पर शामिल करने की अनुशंसा है। भाषा शिक्षण में परंपरागत विधियों के बजाय नवीन, मनोरंजनात्मक और अनुभवात्मक तरीकों का उपयोग करने, इसे फिल्म, कथा, काव्य और संगीत से जोड़ने का सुझाव है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तकें सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है। ओलंपियाड प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने, स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त करने और प्रोत्साहन देने की सलाह भी है। मूक-बधिर बच्चों के लिए "इंडियन स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज" (आईएसएसएल) और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।उच्चतर शिक्षा में भी भाषा संबंधी प्रावधान हैं। नीति कहती है कि हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होना चाहिए जो स्थानीय या भारतीय भाषाओं में शिक्षा दे। पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को द्विभाषी (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) बनाने का सुझाव है।

संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं को साहित्य, संगीत, फिल्म, नाटक और कथा के माध्यम से समृद्ध करने, उनके शब्दकोश बनाने और नए शब्दों के निर्माण की सलाह है। क्षेत्रीय भाषाओं में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चलाने, अनुवाद के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना, और भाषा विश्वविद्यालयों को बहुविषयक बनाने की अनुशंसा है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने और आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए अकादमियां बनाने का सुझाव भी है।नीति भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की बात करती है। ऑनलाइन मॉड्यूल, ऐप्स, डिजिटल लाइब्रेरी, और क्लाउड सोर्सिंग के जरिए साहित्य, पांडुलिपियों और अभिलेखों को संरक्षित करने की सलाह है। एनआरएफ भाषा अनुसंधान में सहायता देगा, और शैक्षिक सॉफ्टवेयर क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित होंगे। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं और दीक्षा का उपयोग भाषा शिक्षण और अनुवाद में होगा।

व्याख्या और विश्लेषण- मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा प्रशंसनीय है, लेकिन यह आसान नहीं है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में कई बार यह सुझाव दिया गया—1905 के कांग्रेस अधिवेशन, 1911 के गोखले विधेयक, 1937 के वर्धा सम्मेलन, और कोठारी आयोग (1964) में। 1968 और 1986 की नीतियों में भी यही बात थी, लेकिन अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया। आज समाज में एक विभाजन दिखता है—सुविधा संपन्न वर्ग अंग्रेजी में पढ़ता है, जबकि कमजोर वर्ग मातृभाषा में। अंग्रेजी के प्रति आकर्षण और मातृभाषा के प्रति हीन भावना इसके पीछे हैं। निजी संस्थानों में अंग्रेजी का बोलबाला और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का अभाव इसे कठिन बनाता है। नीति निर्माता इसके प्रति जागरूक हैं और सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सरकारी नीतियां और रोजगार में अंग्रेजी की मांग इसे चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।फाउंडेशनल स्टेज में भाषाओं के संपर्क का सुझाव अच्छा है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संभव नहीं दिखता। त्रिभाषा सूत्र में दो भारतीय भाषाओं का विचार राष्ट्रीय एकता के लिए है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ही प्राथमिकता पाते हैं, जिससे भाषाई आदान-प्रदान सीमित रहता है। हिंदी को एकीकरण की भाषा बनाने का सुझाव दक्षिण भारत के विरोध के कारण शायद नहीं दिया गया। संस्कृत, क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के सुझाव सराहनीय हैं, और तकनीकी का उपयोग इसे प्रभावी बना सकता है। लेकिन इसके लिए वित्तीय संसाधन और राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है। नीति जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च

करने की बात करती है, जो इसे संभव बना सकता है।

निष्कर्ष - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को संरक्षित और समृद्ध करने का एक सराहनीय प्रयास है। इसके सुझाव गहन और व्यावहारिक हैं। यदि इन्हें ईमानदारी और दृढ़ इच्छाशक्ति से लागू किया जाए, तो भारतीय भाषाएं फलें-फूलेंगी और भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगा। लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि नीति की सफलता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका अहम होगी। यह नीति स्पष्ट और संक्षिप्त है, और इसे लागू करने से भारत विश्व गुरु बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (हिंदी संस्करण), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. गुप्ता, एस.पी. (2019), उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
3. लाल, रमन बिहारी (2010), भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं, रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ।
4. सिंह, कृष्ण कुमार (2020), भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा।
5. भारतीय भाषाओं का शिक्षण (2009), एनसीईआरटी प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।